अनुदान संख्या 94 — वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 94 - MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	7109,84,00	8609,92,00	6672,13,29	-1937,78,71
पूरक	Supplementary	1500,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1792,09,51
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	37,89,00	50,90,00	23,34,43	-27,55,57
पूरक	Supplementary	13,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹193778.71 लाख) जुलाई, 2018, दिसम्बर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹150008.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹193778.71 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹150008.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3385.00	2962.00	2647.26	-314.74
पु.	R.	-423.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	25544.00	..	..	..
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-25547.00			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	107835.00	129868.96	120306.58	-9562.38
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	22030.96			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	574220.00	548951.53	544259.45	-4692.08
पू.	S.	150002.00			
पु.	R.	-175270.47			

(I) ₹28481.00 लाख का प्रावधान (₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹26863.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹28481.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs) remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹26863.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(A) Major Head "2552" -

(क) "ग्राम और लघु उद्योग – हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र)" – ₹1301.80 लाख (1.80 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "ग्राम और लघु उद्योग–हस्तशिल्प उद्योग–राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹1400.40 लाख (₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ग) "ग्राम और लघु उद्योग–रेशम उत्पादन उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹4416.00 लाख;

(घ) "उपभोक्ता उद्योग–वस्त्र" –

(i) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹1000.00 लाख;

(ii) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्रों का विकास" – ₹11260.25 लाख (₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जूट संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन – मिनी मिशन–II" – ₹5484.55 लाख (₹0.55 लाख का साकंतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2851" – "रेशम उत्पादन उद्योग – रेशमी वस्त्रों का विकास" – ₹1000.00 लाख – परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(a) "Village and Small Industries – Handloom Industries – National Handloom Development Programme (Center Sector)" – ₹1301.80 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.80 lakh);

(b) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" – ₹1400.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.40 lakh);

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries – Grants towards Development of Silk Industry" - ₹4416.00 lakhs;

(d) "Consumer Industries – Textiles" -

(i) "National Institute of Fashion Technology" - ₹1000.00 lakhs;

(ii) "Development of Textiles in North East" - ₹11260.25 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.25 lakh); and

(e) "Tribal Area Sub-Plan – Technology Mission on Jute – Mini Mission-II" - ₹5484.55 lakhs (including token Supplementary grant of ₹0.55 lakh).

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2851" – "Sericulture Industries-Development of Silk Textiles" – ₹1000.00 lakhs - due to non-finalisation of projects.

(गा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र – प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना" – ₹1000.00 लाख – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कम दावे प्राप्त होने के कारण।

(C) Major Head "2852" – "Consumer Industries– Textiles - Pradhan Mantri Paridhan Rojgar Protsahan Yojana (PMPRPY)" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of claims from Employee Provident Fund Organisation.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र – राज्य उदग्रहणों से छूट" – के अंतर्गत ₹216385.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹150000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹366385.00 लाख कर दिया गया, जो तथापि निर्यात एजेंसियों से दावों की प्राप्ति न होने के कारण ₹1324.92 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles - Remission of State Levies (RoSL)" – the original provision of ₹216385.00 lakhs was augmented to ₹366385.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹150000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1324.92 lakhs - due to non-receipt of claims from export agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹737.74 लाख की बचत (₹3385.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण।

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat-Ministry of Textiles" – saving of ₹737.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3385.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(IV) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(का) "हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र)" – ₹759.84 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹19077.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भुगतान प्रक्रिया प्रणाली द्वारा बिलों के स्वीकार न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Handloom Industries - National Handloom Development Programme (Center Sector)" – saving of ₹759.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹19077.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non - acceptance of bills by the payment process system.

(खा) "पावरलूम उद्योग" –

(क) "पावरलूम संवर्द्धन स्कीम" – ₹751.20 लाख की बचत (₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10015.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "ऊनी वस्त्रों का विकास" – ₹530.61 लाख की बचत (₹861.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Powerloom Industries" –

(a) "Powerloom Promotion Scheme" – saving of ₹751.20 lakhs (against the total sanctioned provision ₹10015.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh);

(b) "Development of Woolen Textiles" – saving of ₹530.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹861.00 lakhs); and

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र)" – ₹2894.29 लाख की बचत ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5600.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) के कारण हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा उपयोग प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण हुईं।

(ख) "पावरलूम संवर्धन स्कीम" – ₹997.48 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जाति क्षेत्र से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" –

(क) "वस्त्र अवसंरचना और मेगा क्लस्टर" – ₹1722.65 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3757.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹11135.53 लाख की बचत (₹13258.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने और उपयोग प्रमाणपत्र लंबित होने के कारण हुई।

(ग) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" – ₹168431.64 लाख की बचत (₹230000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों के प्राप्त न

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "National Handloom Development programme (Center Sector)" – saving of ₹2894.29 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5600.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals and pending utilization certificates.

(b) "Powerloom Promotion Scheme" – saving of ₹997.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the Scheduled Castes region.

(V) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Consumer Industries - Textiles" -

(a) "Textile Infrastructure and Mega Clusters" – saving of ₹1722.65 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3757.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(b) "Research and Development and Institutional Development" – saving of ₹11135.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13258.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to late finalization of proposals and pending utilization certificates.

(c) "Amended Technology Up-gradation Fund Scheme" – saving of ₹168431.64 lakhs (against the sanctioned provision of

होने तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – अनुसंधान और विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹5336.57 लाख की बचत (₹5451.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजानओं को अंतिम रूप न दिए जाने और अनुसूचित जाति क्षेत्र से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹386.02 लाख की बचत हुई, जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹35806.55 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹7.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2851" –

(क) "हथकरघा उद्योग – बुनकर सेवा केंद्र" – ₹1184.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1037.62 लाख था।

(ख) "हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1793.30 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1145.61 लाख था।

(ग) "रेशम उत्पादन उद्योग – केंद्रीय रेशम बोर्ड" – ₹18284.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14484.00 लाख था।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र – उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र)" – ₹1585.25 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1287.49 लाख था।

₹230000.00 lakhs) was due to non-receipt of claims and late finalization of proposals.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Research and Development and Institutional Development" – saving of ₹5336.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5451.00 lakhs) was due to non-finalisation of projects and less receipt of claims from Scheduled Castes region.

(VI) Under one head saving of ₹386.02 lakhs occurred constituting 11 percent of the total sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹35806.55 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹7.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2851"-

(a) "Handloom Industries-Weavers Service Centre" – ₹1184.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1037.62 lakhs.

(b) "Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" – ₹1793.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹1145.61 lakhs.

(c) "Sericulture Industries – Central Silk Board" - ₹18284.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14484.00 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" –

(i) "National Handloom Development Programme (Center Sector)"- ₹1585.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹1287.49 lakhs.

(ii) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1150.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1053.64 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" –

(क) "वस्त्र समिति को सहायता" – ₹5200.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2900.00 लाख था।

(ख) "पूर्वोत्तर में वस्त्र विकास" – ₹6610.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6571.15 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2851" – "हस्तशिल्प उद्योग – विपणन और सेवा विस्तार" – ₹683.09 लाख का अधिक व्यय (₹1368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विपणन संवर्द्धन कार्यकलापों के लिए अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2755.57 लाख) जुलाई, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1301.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 54 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

(ii) "National Handicraft Development Programme" – ₹1150.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1053.64 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles" -

(a) "Assistance to Textile Committee" – ₹5200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2900.00 lakhs.

(b) "Development of Textiles in North East"- ₹6610.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6571.15 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - "Handicraft Industries – Marketing and Service Extension" - excess of ₹683.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1368.00 lakhs) was due to receipt of more claims towards marketing promotional activities.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2755.57 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1301.00 lakhs obtained in July, 2018 and February, 2019 and constituted 54 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	3737.00	5038.00	2334.43	-2703.57
पू.	S.	1301.00			

(I) ₹1353.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1301.00 लाख का पूरक प्रावधान "हथकरघा उद्योग – अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी विकास परियोजना स्कीम" के अंतर्गत – भुगतान प्रक्रिया प्रणाली द्वारा बिलों को स्वीकार न किए जाने का कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1353.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these supplementary provision of ₹1301.00 lakhs accounted for under "Handicraft Industries – Infrastructure and Technology Development Project Scheme" – due to non-acceptance of bills by the payment process system.

(II) "हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र)" के अंतर्गत – ₹1402.57 लाख की बचत (₹3737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Handloom Industries – National Handloom Development Programme (Center Sector)" – saving of ₹1402.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3737.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.